न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—ओम प्रकाश चन्देलिया आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 35/2023

दायर दिनांकः 16/10/2023

उनवान

1. शिवराज उर्फ शिवजीराम आयु 51 वर्ष पुत्र छीतरलाल जाति कुम्हार निवासी खेडलीगंज तहसील अटरू जिला बारां (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार, अटरू जिला बारां।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थित :—
प्रार्थिया :—विद्वान अभिभाषक श्री गौरव सिंह हाडा
अप्रार्थी :— पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 21/11/2024

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल खेडलीगंज पटवार क्षेत्र खेडलीगंज तहसील अटरू की खाता संख्या 31 की ख0नं0 26 रकबा 0.69 हे०, ख0नं0 32 रकबा 1.45 किता 2 रकबा 2.14 हे0 आराजी प्रार्थी के शामलाती खाते दर्ज हैं। जिसमें प्रार्थी का गलत नाम शिवजीराम पुंत्र छीतरलाल दर्ज हैं। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न हैं। जो कबिल गौर हैं। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थी का नाम शिवजीराम पुत्र छीतरलाल दर्ज है तथा जो प्रार्थी का गलत नाम हैं जबकि प्रार्थी का सही नाम शिवराज पुत्र छीतरलाल हैं। प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद के बाद फोती इन्तकाल खुलवाते समय प्रार्थी के परिवार ने प्रार्थी का बोलता नाम शिवजीराम पुत्र छीतरलाल लिखवा दिया गया। जिससे प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी मे शिवजीराम पुत्र छीतरलाल दर्ज हो गया। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशनकार्ड तथा अन्य दस्तावेजो में प्रार्थी का नाम शिवराज [illegible] प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजो मे भिन्न हैं। प्रार्थी का नाम [illegible] दस्तावेजो में भिन भिन्न नाम होने से प्रार्थी को बैंक आदि से ऋण लेने व कृषि [illegible] कार्यों में कई [illegible] की समस्याओ

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 16:22:50 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

का सामना करना पडता है। अस्तु प्रार्थी राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम शिवजीराम पुत्र छीतरलाल के स्थान पर शिवराज पुत्र छीतरलाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। जिसे बिना न्यायलय की सहायता के नही करवाया जा सकता। अस्तु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण प्रथम बार दिनांक 25.09.2023 को प्रार्थी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजना के आवेदन करने पर जमाबन्दी में गलत नाम दर्ज से आवेदन खारिज पर तथा प्रार्थी द्वारा कई बार अप्रार्थी से नाम दुरूश्त करने का निवेदन के बावजूद भी नही करने पर अन्तिम बार मना करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। प्रार्थना पत्र अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य हैं। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जायेंगे।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम शिवजीराम पुत्र छीतरलाल के स्थान पर शिवराज पुत्र छीतरलाल दुरूस्त करने का आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अप्रार्थी तहसीलदार अटरू से प्रार्थना पत्र के संबंध में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट कमांक/राजस्व/2024/3389 दिनांक 13.11.2024 को शामिल फाईल किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की मौखिक बहस सूनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों– नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीगंज सम्वत 2074–77 खाता संख्या 27, नकल जमाबन्दी ग्राम व माल खेडलीगंज सम्वत 2074–77 खाता संख्या 31, प्रमाण पत्र वार्ड पार्षद नगर पालिका अटरू, जन–आधार कार्ड, बैक पास बुक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, राशन कार्ड, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र व रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण तथा तहसीलदार अटरू की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर ग्राम एवं माल खेडलीगंज पटवार क्षेत्र [illegible]डली [illegible] तहसील अटरू की खाता संख्या 31 की ख0नं0 26 रकबा 0.69 है0, ख0नं0 32 रकबा 1[illegible] किता 2 रकबा 2.14 हे0 में सहखातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:50 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 2 पर

Scanned with OKEN Scanner

शिवजीराम पुत्र छीतरलाल के स्थान पर शिवराज पुत्र छीतरलाल किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः रिकार्ड के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम एवं माल खेडलीगंज पटवार क्षेत्र खेडलीगंज तहसील अटरू की खाता संख्या 31 की ख0नं0 26 रकबा 0.69 है०, ख0नं0 32 रकबा 1.45 किता 2 रकबा 2.14 हे0 में सहखातेदार शिवजीराम पुत्र छीतरलाल के स्थान पर शिवराज पुत्र छीतरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

यह निर्णय आज दिनांक 21.11.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21-11-24

(ओम प्रकाश चन्देलिया)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Chandeliya
Date: 2024.12.04 10:22:50 IST
Reason: SelfAttested

लगातार 2 पर

Scanned with OKEN Scanner